


भाग—2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)


प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

| | | |
|--------|--|---|
| 7 | परियोजना / स्कीम का स्थान | राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के निर्माण के कम में विद्युत सुदूरीकरण हेतु 765 कोवी० उरई – अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण जिसके द्वारा संयुक्त परियोजना के अंतर्गत पश्चिमी क्षेत्र की की उत्पादित बिजली को उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के विद्युत नेटवर्क को मजबूती प्रदान किया जायेगा जिसमें औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र में बृहद रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। |
| (i) | राज्य / संघ शासित क्षेत्र | उत्तर प्रदेश |
| (ii) | जिला | जालौन |
| (iii) | वन प्रभाग | सा० वा० वन प्रभाग उरई (जालौन) |
| (iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०) में | 0.268 हे० |
| (v) | वन की कानूनी स्थिति | संरक्षित भूमि |
| (vi) | हरियाली का घनत्व | 0.1 |
| (vii) | प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाये)। सिंचाई / जलीय परियोजना के संबंध में एफ.आर.एल.एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिणाम और एक आर एफ एल-4 मीटर भी संलग्न किया जाये। | संलग्न है। |
| (viii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी | भूक्षरण के लिए क्षेत्र संवेदनशील नहीं है। |
| (ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी | 0 कि०मी० |
| (x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कॉरिडोर आदि का भाग है (यदि हों, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वाईन की टिप्पणियां अनुबंधित की जायें) | नहीं। |
| (xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हों तो तत्संबंधी ब्योरा दें। | नहीं। |
| (xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/ पारंपरिक रथल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें। | नहीं। |

योगेन्द्र कुमार शाह
YOGENDRA KUMAR SHAH
मुख्य प्रबंधक/CHIEF MGR
पावर ग्रिड, उरई
POWER GRID, ORR



| | | |
|-------|---|---|
| 8 | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग—1 कालम—2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। | प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। |
| 9 | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं। | नहीं। |
| 10 | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा | |
| (i) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू—खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू—खण्डों का आकार। | संलग्न है। |
| (ii) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर / अवकमि वन क्षेत्र और आस पास की सीमाओं को दर्शाता मैप। | संलग्न है। |
| (iii) | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्यवन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। | संलग्न है। |
| (iv) | प्रतिपूरक वनी करण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। | रु 762200.00 |
| (v) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उपवन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाये)। | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र प्रबंधकीय दृष्टिकोण से उपयुक्त है। |
| 11 | जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम —7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) | कोई नहीं। |
| 12 | विभाग / जिला प्रोफाइल | |
| (i) | जिले का भौगोलिक क्षेत्र | 4565 वर्ग किमी0 |
| (ii) | जले का वन क्षेत्र | 25639.35 हेए |
| (iii) | मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र | 5 मामले (55.148 हेए) |
| (iv) | 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर | 52.50 हेए 00 |
| (v) | अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेत्तर भूमि पर | 52.50 हेए 00 |


योगेन्द्र कुमार शाह
YOGENDRA KUMAR SHAH
मुख्य प्रबंधक/CHIEF MGR
पावर ग्रुप, उर्हा
POWER GRD, ORAI

| | | |
|----|---|---|
| 13 | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश | प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संरुपति की जाती है। |
|----|---|---|

तिथि:

रथान

योगेन्द्र कुमार साह
YOGENDRA KUMAR SHAU
मुख्य प्रबंधक/CHIEF MGR
पावर ग्रिड, उड़ई²
POWER GRID, ORAI


दूसरी भाष्यकारी
केन्द्र, तत्व प्रभाग
बॉर्ड (जालीन)

(बी० आ० अहिरवार)
उर्दु-बंग संस्कृत
प्रभातीय विनाधिकारी प्रभाग
उरई (जालौन),
जालौन सा० बा० बंग प्रभाग, उरई।